राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल0आर0/3043/2004/गंगानगर

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, सादुलशहर, गंगानगर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गुरबचनसिंह सिंह पुत्र अर्जनसिंह रामगगढिया निवासी दूदा खीचड तह0 सादुलशहर जिला गंगानगर हाल चक 16 एसडिएस तह0 सादुलशहर जिला गंगानगर।

2– सुखदेवसिंह पुत्र हरनामसिंह पूर्व पुत्र अर्जनसिंह रामगगढिया निवासी दूदा खीचड तह0 सादुलशहर हाल निवासी 16 एसडिएस तह0 सादुलशहर जिला गंगानगर।

.....रेस्पोडेन्ट

एकल–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ0पी0 भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक : 25.8.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 76 के अर्न्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील संख्या 196/2001 शीर्षक गुरबचनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26–8–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, राजस्व, सादुलशहर ने एक वाद अन्तर्गत धारा 13 ए/13114 उप निवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अति0 जिलाधीश (प्रशासन), गंगानगर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटी चिता सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति जट सिख सा0 बुधरवाली ने आवंटित भूमि चक 16 एस0डी0एस0 प0नं0 33/144 कि0नं0 16, 23 ता 25 रकबा 4 बीघा नहरी भूमि राज0 उप निवेशन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना अन्तरण गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0 किया है। वर्तमान में भूमि पर गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0दिनांक 29.7.74 के तकसीमनामा से चितसिंह पुत्र हरनाम सिंह 60 हि0, गुरदेव सिंह पुत्र चिता सिंह 20 हि0 दर्ज हुआ व बैयनामा दिनांक 3.6.75 से गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0दर्ज हुआ है। जिला कलक्टर, श्री गंगानगर ने आदेश दिनांक 3–10–2001 के द्वारा चक 16 एस0डी0एस0 प0नं0 33/144 के कि0नं0 23 ता 25 जो सुखदेव सिंह द्वारा क्रय किया गया है एवं किला नम्बर 16 जो

गुरबचनसिंह द्वारा गुरदेव सिंह से क्रय की है कुल रकबा 4 बीघा को विधिमान्य घोषित नहीं कर राज्य पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश दिए गए। उक्त निर्णय के विरुद्ध गुरबचनसिंह वगैरा द्वारा राज्य पक्ष के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.8.2003 से स्वीकार करते हुये प्रकरण को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रति प्रेषित किया। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय उप अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4– योग्य राजकीय उप अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 15–1–1958 को चिता सिंह के पक्ष में किया गया था और चिता सिंह को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे और आवंटी की स्थिति एक गैर खातेदार की थी। एक गैर खातेदार द्वारा भूमि को हस्तान्तरण या बेचान करना पूर्णतया नियमों व प्रावधानों के विपरीत है और इस प्रकार के हस्तान्तरण से क्रेता को किसी प्रकार के विधिक अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के तहत फ्रैगमैंट के रुप में किए गए बेचान को विधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में किया गया बेचान धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा प्रश्नगत आराजी के बेचान को विधिमान्य घोषित नहीं करने और आराजी को कब्जे राज लेने का जो आदेश पारित किया था वह नियमानुकूल आदेश था और इस आदेश में अपीलाधीन निर्णय से हस्तक्षेप करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाए।

5– रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6– प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में पाया जाता है कि तहसीलदार, राजस्व, सादुलशहर ने वाद अन्तर्गत धारा 13 ए/13114 उप निवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अति0 जिलाधीश (प्रशासन), गंगानगर को प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया कि आवंटी चिता सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति जट सिख सा0 बुधरवाली ने आवंटित भूमि चक 16 एस0डी0एस0 प0नं0 33/144 कि0नं0 16, 23 ता 25 रकबा 4 बीघा नहरी भूमि उप निवेशन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना अन्तरण गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0 किया है। वर्तमान में भूमि पर गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0दिनांक 29.7.74 के तकसीमनामा से चितसिंह पुत्र हरनाम सिंह 60 हि0, गुरदेव सिंह पुत्र चिता सिंह 20 हि0 दर्ज हुआ व बैयनामा दिनांक 3.6.75 से गुरबचन सिंह पुत्र अर्जन सिंह 20 हि0 सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनाम सिंह 60 हि0 रामगढिया सा0 16 एस0डी0एस0दर्ज हुआ है। प्रकरण में जिला कलक्टर के स्तर पर तहसीलदार,सादुलशहर से रिपोर्ट ली गई है और तहसीलदार, सादुलशहर ने दिनांक 23/31–12–1995 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रश्नगत आराजी के रकबा 4 बीघा का आवंटन दिनांक 15.1.1958 को चितासिंह पि0

हरनाम सिंह को होना, सुखदेव सिंह पि0मु0 हरनामसिंह द्वारा दिनांक 15.6.1971 को चितासिंह आवंटी से बैनामा से क्रय करना और इसी मु0नं0 का किला नम्बर 16 गुरबचनसिंह पुत्र अर्जनसिंह ने जरिये बैनामा दिनांक 3.6.1975 आवंटी चितासिंह के पुत्र गुरदेव सिंह से क्रय करना अंकित किया है। प्रकरण में ये स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी को आवंटन के 7 वर्ष बाद गैर खातेदारी में अंकित होते हुए बेचान किया गया है जब कि गैर खातेदारी भूमि का फ्रैगमैंट के रुप में बेचान/हस्तान्तरण विधिक रुप से अमान्य है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट है कि जो विक्रय पत्र दिनांक 3.6.1975 को गुरदेवसिंह के द्वारा गुरबचनसिंह के पक्ष में किया गया है यह भूमि गुरदेव सिंह को अपने पिता चिता सिंह से प्राप्त हुई है। किन्तु अपने पिता से यह भूमि उसे किस प्रकार वसीयत, दान, विक्रय, बॅटवारे आदि से प्राप्त हुई स्पष्ट नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ जिला कलक्टर न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से माना है कि गुरदेवसिंह को उक्त भूमि बेचान करने का अधिकार प्राप्त होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, अतः उक्त बेचान को विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति में स्पष्ट है कि न्यायालय जिला कलक्टर, श्री गंगानगर ने प्रकरण में विधिक रुप से परीक्षण करते हुये आदेश दिनांक 3–10–2001 के द्वारा चक 16 एस0डी0एस0 प0नं0 33/144 के कि0नं0 23 ता 25 जो सुखदेव सिंह द्वारा क्रय किया गया है एवं किला नम्बर 16 जो गुरबचनसिंह द्वारा गुरदेव सिंह से क्रय की है कुल रकबा 4 बीघा को विधिमान्य घोषित नहीं कर राज्य पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप करते हुये जिला कलक्टर के आदेश को अपास्त किया है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि होने से अपील अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील संख्या 196/2001 शीर्षक गुरबचनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26–8–2003 को निरस्त किया जाता है और जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 3–10–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य